

10



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग-II—खण्ड-3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 1995/भाद्र 14, 1917
No. 518] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 1995/BHADRA 14, 1917

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1995

का० आ० 763 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (दो सौ तीसवां संशोधन) नियम, 1995 है।

2162 GI/95

(1)

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, "कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के नीचे :—

(i) प्रविष्टि 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"24. (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, पदत्याग, आदि ।

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट ।";

(ii) प्रविष्टि 34 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"35. (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पदत्याग, आदि ।

(ख) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट ।"

शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति

[फा० सं० 74/2/2/95-मंत्रि]

सुयोग्य कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 1995

S. O. 763 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two Hundred and Thirtieth Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)",—

-
- (i) for entry 24, the following entry shall be substituted, namely :—
"24. (i) Appointment, resignation, etc. of Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
(ii) Reports of the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.";
- (ii) after entry 34, the following entry shall be added, namely :—
"35. (a) Appointment, resignation, etc. of Chairperson, Vice-Chairperson and Members of the National Commission for Safai Karamcharis.
(b) Reports of the National Commission for Safai Karamcharis.".

SHANKER DAYAL SHARMA, President

[F. No. 74/2/95-Cab.]

S. K. MISRA, Jt. Secy.

